**भारत सरकार**

**कृषि मंत्रालय**

**कृषि एवं सहकारिता विभाग**

**\*\*\*\*\***

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 145\***

**23 मार्च, 2012 के लिए प्रश्‍न**

**विषय : कृषि की वर्षा पर निर्भरता ।**

**\*145 श्री परवेज हाशमी** :

क्‍या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृ‍पा करेंगे कि :

**(क)**  क्‍या यह सच है कि दो तिहाई से भी अधिक कृषि भूमि अभी भी वर्षा पर निर्भर है;

**(ख)**  क्‍या यह भी सच है कि विकसित देश वर्षा पर बहुत कम निर्भर रहते हैं; और

**(ग)** यदि हां, तो वर्षा पर निर्भरता को समाप्‍त करने के लिए सरकार ने हाल में अवसंरचना संबंधी सहायता उपलब्‍ध कराने के लिए क्‍या कार्रवाई की है ?

**उत्‍तर**

**कृषि मंत्री (श्री शरद पवार)**

1. **से (ग) :** विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

**राज्‍यसभा में दिनांक 23 मार्च, 2012 को उत्‍तरार्थ तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 145 के भाग (क) से (ग) के संबंध में उल्लिखित विवरण**

1. : उपलब्‍ध अनुमानों (2009-10) के अनुसार निवल सिंचित क्षेत्र (63.25 मिलियन हैक्‍टेयर) कुल कृष्‍य भूमि (182.5 मिलियन हैक्‍टेयर) का लगभग 35 प्रतिशत है।
2. : जी नहीं, सिंचाई और जल निकास से संबंधित अंतर्राष्‍ट्रीय आयोग के अनुसार इजराइल, जापान, नीदरलैंड और न्‍यूजीलैंड जैसे कुछ देशों को छोड़कर शेष विकसित देशों में भारत की तुलना में सिंचाई के तहत क्षेत्र का प्रतिशत कम है। विकसित देशों में कृष्‍य और स्‍थायी फसल क्षेत्र (एपीसी) की तुलना में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 4 से 100 प्रतिशत के बीच है जबकि भारत में यह लगभग 35 प्रतिशत है। तथापि, चूंकि अधिकतर विकसित देशों में शीतोष्‍ण जलवायु है तथा वर्षा कमोवेश समरूप तथा सुवितरित है, अत: इन देशों में भारत की तुलना में कम सूखा पड़ता है।
3. : सिंचाई ‘भारत निर्माण के तहत ग्रामीण अवसंरचना के विकास के लिए 6 घटकों में से एक है । भारत निर्माण के अन्‍तर्गत सिंचाई क्षमता का सृजन चल रही बृहत और मध्‍यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं, एमएमआई परियोजनाओं के विस्‍तार, सुधार और आधुनिकीकरण और सतही और भूजल लघु सिंचाई (एमआई) परियोजनाओं को पूरा करके किया जाता है। जल निकायों की मरम्‍मत, सुधार और बहाली पर भी जोर दिया जाता है। वर्ष2005-06 से 2010-11 की अवधि के दौरान लगभग 10.7 मिलियन हैक्‍टेयर अतिरिक्‍त सिंचाई क्षमता सृजित की गयी है, इस प्रकार निवल सिंचित क्षेत्र बढ़कर लगभग 63 मिलियन हैक्‍टेयर हो गया है।

कृषि में उपलब्‍ध सतही और उपसतही जल संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जल की आवश्‍यकता को कम से कम करने तथा अधिक समय तक जल की उपलब्‍धता बढ़ाने के लिए राष्‍ट्रीय सूक्ष्‍म सिंचाई मिशन शुरू किया गया। कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी पनधारा विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं जिसके अन्‍तर्गत फसलों को जीवित रखने हेतु सिंचाई करने के लिए जल संचयन संरचनाएं शुरू की जाती हैं। इसके अलावा कृषि मंत्रालय के सभी बृहत कार्यक्रमों जैसे राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्‍ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), बृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए) आदि के अन्‍तर्गत कृषि भूमि को संरक्षात्‍मक सिंचाई करने के लिए खेतों में पोखरों के निर्माण तथा जल संचयन के अन्‍य साधनों को बढ़ावा दिया जाता है।

\*\*\*\*\*\*